भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 150

20.07.2026 को उत्तर के लिए

एबीएस ढांचे के अंतर्गत पारदर्शिता

150. श्री बी. के. पार्थसारथी :
श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) विद्यमान जैव-विविधता कानून के अंतर्गत "पारंपरिक ज्ञान" को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किए गए मापदंडों और मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 'एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग' (एबीएस) प्रणाली के अंतर्गत नियत समय-सीमा में समुदायों से सार्थक 'पूर्व सूचित सहमति' (पीआईसी) प्राप्त करने की राज्य जैव-विविधता बोर्डों की क्षमता का आकलन किया है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) एबीएस रूपरेखा के अंतर्गत सहमित प्रक्रियाओं, लाभ-साझाकरण तंत्र और पारदर्शिता के संबंध में समुदाय के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों और समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एबीएस रूपरेखा के अंतर्गत किसानों को दिए जाने वाले गैर-मौद्रिक लाभों, जैसे तकनीक का हस्तांतरण, स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण, और शिक्षा व प्रशिक्षण का आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित) की रूपरेखा द्वारा राज्य जैव-विविधता बोर्डों को उक्त अधिनिमय की धारा 41 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट जैविक संसाधनों और उनसे संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच से संबंधित आवेदनों पर निर्णय लेने से पहले संबंधित जैव-विविधता प्रबंधन समितियों से पूर्व सूचित सहमति प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया गया है।

एबीएस रूपरेखा के तहत सहमति प्रक्रियाओँ और पारदर्शिता के संबंध में समुदाय के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों और समस्याओं का समाधान संबंधित राज्य जैव-विविधता बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र जैव परिषदों द्वारा किया जाता है।

जैव-विविधता (जैविक संसाधनों और उनसे संबधित ज्ञान तक पहुंच एवं निष्पक्ष और लाभ) विनियम, 2025 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट आध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किसानों सहित अन्य समुदायों को प्रदान किए गए गैर-आर्थिक लाभों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैः

i. संस्थागत क्षमता सृजन उपलब्ध कराना;

ii. पर्यावास विनाश या क्षेत्रों को प्रदूषण अथवा संदूषण से बचाने के लिए सुधारात्मक और पुनर्बहाली संबंधी कार्यकलाप करना;

iii. भारत में जैविक संसाधनों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग के संबंध में शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंधित योगदान/सहयोग करना;

iv. स्थानीय समुदायों के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था एवं आय सृजन को बढ़ाने वाली उत्पादन, अनुसंधान तथा विकास इकाइयां/केंद्र स्थापित करना;

v. उन क्षेत्रों में, जहां जैविक संसाधनों तक पहुंचा जा चुका है, में पौधशालाएं लगाकर और/या वृक्षारोपण करके दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों सहित अन्य प्रजातियों के संरक्षण एव सुरक्षा के लिए यथोचित उपाय करना;

vi. जैव विविधता के सूचीकरण और संसाधन मूल्यांकन पर अध्ययन/परियोजनाओं की स्थापना करना;

vii. जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग से संबंधित वैज्ञानिक सूचनाओं का आदान-प्रदान, जिसमें जैविक सूची और वर्गीकरण संबंधी अध्ययन शामिल हैं;

viii. भारत में खाद्य, स्वास्थ्य और आजीविका सुरक्षा सहित प्राथमिक स्तर की आवश्यकताओं की दिशा में अनुसंधान करना, जिसमें जैविक संसाधनों पर विशेष ध्यान दिया जाए;

ix. व्यक्तियों को आजीविका-लागत आदि सहित छात्रवृत्ति प्रदान करना और जैविक संसाधनों की उपलब्धता और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ में योगदान देने वाले क्षेत्रों, वर्गों/संप्रदायों को प्राथमिकता देते हुए भारतीय संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
